

5



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प० ग्वालिवर ।

पुकरणा क्रमांक
II/मिगरानी/शयोपुर/भ्रंश/2018/0751

/2018 निगरानी १ शयोपुर

श्री. २२० के० यादव
27-1-18
प्रस्तुत! पारंपरिक तर्क हेतु
दिनांक 8-2-18 नियत।

राजस्व मण्डल, न.प्र. ग्वालिवर
27-1-18

- १- सेवा सिंह पुत्र मामचन्द ,
आयु 53 वर्ष , व्यवसाय- कृषि
- २- धर्म सिंह पुत्र मामचन्द ,
आयु 51 वर्ष , व्यवसाय- कृषि
निवासीगण ग्राम गोठरा, तहसील कला,
जिला शयोपुर १ म०प०

---- आवेदकगण-

बनाम

- १- रामवती पत्नी श्री रघुवीर जाति मीणा
- २- काड़ी बेबा रामस्वरूप जाति रावत
- ३- शिवप्रसाद पुत्र प्रभू लाल , जाति रावत
- ४- सुग्रीव पुत्र श्री प्रभूलाल , जाति रावत
- ५- बृजेश पुत्र श्री प्रभूलाल , जाति रावत
- ६- त्रिवेणी देवी पुत्री श्री फुन्दीलाल
- ७- मिश्रीदेवी पुत्री श्री फुन्दीलाल
- ८- रमेश पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
- ९- गायत्री पुत्री हरिप्रसाद
- १०- गिरधर गोपाल पुत्र श्री हरिप्रसाद
समस्त निवासीगण ग्राम गोठरा , तहसील
कराहल , जिला शयोपुर १ म०प०
- ११- पिस्ताबाई पत्नी श्री सुरेश
निवासी ग्राम जाखदा , तहसील कराहल ,
जिला शयोपुर १ म०प०
- १२- सन्तोष पत्नी श्री दिलकवर
निवासी ग्राम तिलमुरी , तहसील कराहल,
जिला शयोपुर १ म०प०



9



— 2 —

11211

§ 13§ - लिखू पुत्र श्री चेतू

निवासी ग्राम जाखदा, तहसील कराहल

जिला श्योपुर § म०प०§

§ 14§ - म०प० शासन

----- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प० भू-राजस्व संहिता,
विरूद्ध आदेशा दिनांक 29-8-2017 को अपर कलेक्टर,
जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/12-13 स्वमेव
निगरानी में पारित किया।

-----0-----

माननीय महोदय,

आवेदकगण / निगरानीकृतगण को अग्रे से

निगरानी आवेदनपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

निगरानी आवेदनपत्र निम्न प्रकार पेश हैं :-

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- दो/निगरानी/शयोपुर/भू.रा./2018/0751

सेवा सिंह आदि विरुध रामवती आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16/5/19	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभाषक श्री आर० सी० शर्मा उपस्थित। अनावेदक शासकीय अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला शयोपुर के प्रकरण क्रमांक 10/12-13/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29/08/2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चंबल संभाग जिला मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 10/7/19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p> <p>(आर०के० जैन) सदस्य 16.5.19</p>	